भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2315

सोमवार, 13 दिसम्बर, 2021/22 अग्रहायण, 1943 (शक)

बाल मजदूरों का डाटा

2315 श्री सौमित्र खान:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास गत पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में बाल मजदूरों की संख्या दर्शाने वाला डाटा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा बच्चों की बाल मजदूर के रूप में रखने पर रोक लगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 को वर्ष 2016 में संशोधित किया गया था। इस संशोधित अधिनियम को अब बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 कहा जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के किसी भी व्यवसाय और प्रक्रियाओं में एवं 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम करने या रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का उपबंध है। इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम जिला मजिस्ट्रेट को अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने का अधिकार देता है। अत: इस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय रूप से देश में बाल श्रम से संबंधित डेटा नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ): सरकार बाल श्रम को समाप्त करने के लिए बहुआयामी कार्यनीति अपना रही है और व्यापक उपाय किए हैं जिसमें विधायी उपाय, पुनर्वास कार्यनीति, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करना और सामान्य सामाजिक-आर्थिक विकास शामिल हैं, ताकि बाल श्रम की घटनाओं को खत्म किया जा सके। सांविधिक और विधायी उपायों, पुनर्वास कार्यनीति और शिक्षा का विवरण निम्नानुसार है:

(i) सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 का अधिनियमन किया है, जो दिनांक 01.09.2016 से प्रभावी हुआ। यह संशोधन में इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर के लिए नियोक्ताओं के लिए कड़ी सजा का भी उपबंध करता है और अपराध को संज्ञेय बनाया गया है।

(ii) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन केन्द्रीय नियम बनाना।

(iii) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई बिंदुओं की गणना करते हुए मॉडल राज्य कार्य योजना तैयार करना और उसे सभी मुख्य सचिवों को परिचालित करना।

(iv) सरकार बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना लागू कर रही है।

****